कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–2, लो0नि0वि0, बिजनौर
मुख्यालय नजीबाबाद

पत्रांकः 760/24सी पेट्रोल पम्प/20–21 दिनांकः 14/06/2021

सेवा में,
प्रभारी अधिकारी
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट
बिजनौर

विषय :– मैसर्स भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, मेरठ को खसरा नं0 155 व 156 ग्राम नवादा केशो, स्योहारा से ठाकुरद्वारा मार्ग, थाना स्योहारा, तहसील धामपुर, जनपद बिजनौर में पेट्रोल/डीजल पम्प (रिटेल आउटलेट) लगाने हेतु अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:– कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट बिजनौर का पत्रांक 2186/जि0पू0अ0–एन0ओ0सी0/2020 दिनांक 12.10.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में ग्राम नवादा केशो, तहसील धामपुर के खसरा/गाटा नं0 155 व 156 में पैट्रोल/डीजल पम्प (रिटेल आउटलेट) स्थापित करने हेतु मैसर्स भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0, मेरठ को मुख्य अभियन्ता, मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0 मुरादाबाद के पत्रांक 879/154एम (रामपुर)–मु0क्षे0/20–21 दिनांक 24.03.2020 द्वारा प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र मूल में पूर्ण प्रकरण सहित संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न– 1– पूर्ण पत्रावली
2– एनेक्जर II – III
3– मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र मूल में

राजेश शर्मा
प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
आबू का मकबरा, केसर गंज
मेरठ–250002 (उ0प्र0)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–2, लो0नि0वि0
बिजनौर (मु0 नजीबाबाद)

पत्रांकः /24सी पेट्रोल पम्प/20–21 दिनांकः

Amol Ingle
Executive Engineering (Retail)
Bharat Petroleum Corporation Limited
Abu Ka Makbara, Kaiser Ganj
Meerut - 250002 (U.P.)

1. प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता चतुर्थ, निर्माण खण्ड–2 लो0नि0वि0 बिजनौर (मु0 नजीबाबाद) को सूचनार्थ प्रेषित
2. प्रतिलिपि अवर अभियन्ता (प्रा0) निर्माण खण्ड–2, लो0नि0वि0 बिजनौर (मु0 नजीबाबाद) को रिकार्ड हेतु।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–2, लो0नि0वि0
बिजनौर (मु0 नजीबाबाद)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता
मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, मुरादाबाद

पत्रांक :- 879 /154एम(रामपुर)-मु0क्षे0/20-21 दिनांक- 25.3.21

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0,
बिजनौर(मु0-नजीबाबाद)।

विषय :- **बहसूमा चांदपुर ठाकुरद्वारा जसपुर मार्ग (राज्य मार्ग सं0-147) के कि0मी0 81 में ग्राम नवादा केशों, तहसील-धामपुर, जिला-बिजनौर के खसरा सं0-155 व 156 पर भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा रिटेल आउटलेट (पैट्रोल पम्प) स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ :- **अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत, लो0नि0वि0, रामपुर का पत्रांक-1785/20काम-रा0वृत/20-21 दिनांक 16.03.2021**

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों यथा प्रार्थना-पत्र, भू-अभिलेख, चेकलिस्ट एवं मानचित्र के आधार पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है।

1. मार्ग के मध्य बिन्दु से दोनो ओर 220 फीट की दूरी तक कोई भी स्थायी निर्माण न किया जाये।
2. प्रस्तावित निर्माण स्थल पर मार्ग के मध्य बिन्दु से मानचित्र में दर्शायी गयी 22.86 मी0 की दूरी के बाद ही अस्थायी निर्माण किया जाये। (विस्तृत मानचित्र संलग्न)
3. विभिन्न मद का निर्माण कार्य गाईडलाइन के पृष्ठ सं0-20 के अनुसार मानचित्र में दर्शायी गयी माप एवं मानक विशिष्टियों के अनुरूप ही सम्पादित किया जाये।
4. समस्त निर्माण, मार्ग की स्थाई भूमि के बाहर अनुमोदित नक्शें के अनुसार किया जाये तथा निर्माण सामग्री का एकत्रीकरण मार्ग की स्थायी भूमि पर कदापि न किया जाये।
5. प्रस्तावित स्थल **बहसूमा चांदपुर ठाकुरद्वारा जसपुर मार्ग (राज्य मार्ग सं0-147) के चैनेज 80.207 के दायीं** ओर स्थित है।
6. प्रस्तावित निर्माण स्थल पर आने जाने हेतु पहुँच मार्ग का निर्माण (संलग्न मानचित्र) के अनुसार निर्धारित मानकों के अनुसार आवेदक को स्वयं अपने निजी व्यय पर करना होगा।
7. रिटेल आउटलेट से पानी की समुचित निकासी हेतु पुलिया व नाली के निर्माण से सम्बन्धित ले आउट प्लान, पुलिया व नाली की परिकल्पना लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुसार की जाये तथा इसका अनुमोदन कार्य कराने से पूर्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता से कराना होगा।
8. रिटेल आउटलेट की स्थापना के फलस्वरूप यातायात की सुरक्षा हेतु आवश्यक साईनबोर्ड एवं रोड मार्किंग की व्यवस्था आवेदक को निजी व्यय पर कराना होगा।
9. भू-स्वामित्व का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में प्रस्तावित स्थल पर रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु दी गयी अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी, भूमि के स्वामित्व का परीक्षण राजस्व विभाग द्वारा ही किया जाना है।
10. लोक निर्माण विभाग मार्ग के चौड़ीकरण के समय यदि पहूँच मार्ग का निर्माण कार्य हेतु पम्प आदि को शिफ्ट करने की आवश्यकता हुई तो प्रार्थी को अपने खर्चे पर ही कार्य कराना होगा। इस क्षति के लिये किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जायेगा। उक्त परिस्थिति में निर्गत अनापत्ति स्वतः निरस्त हो जाएगी तथा आवेदन को पुनः अनापत्ति प्राप्त करना होगा।
11. मार्ग के प्रयोग में लाये जाने हेतु यदि भविष्य में कोई किराया निर्धारित किया जाता है तो उसका वहन सम्बन्धित कम्पनी द्वारा किया जायेगा।
12. अनापत्ति प्रमाण पत्र लाईसेंस डीड के हस्ताक्षर उपरान्त 10 वर्ष के लिए वैध होगा। लीज डीड के वैधता तिथि के 06 माह पूर्व नवीनीकरण हेतु आवेदक का समस्त दस्तावेजों सहित पुनः आवेदन करना होगा।

Amol Ingle
Executive Engineering (Retail)
Bharat Petroleum Corporation Limited
Abu Ka Makbara, Kaiser Ganj
Meerut -250002 (U.P.)

राजेश शर्मा
प्रादेशिक प्रबंधक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
आबू का मकबरा, केसर गंज
मेरठ–250002 (उ0प्र0)

G:\Dk\World\Petrol Pamp.doc

13. शासनादेश में निहित प्राविधानुसार लाइसेंस फीस रू0 3.00 लाख एवं प्रोसेसिंग फीस रू0 10,000.00 जमा करायी जाये।
14. शासन एवं मुख्य अभियन्ता (मु0-2) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
15. नीति निर्देशों को उच्च स्तर से किन्हीं अन्य प्रकार से व्याख्यापित किया जाता है, तो उक्त अनापत्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।
16. शासनादेश सं0-1882/23-12-19-1365/17टी0सी0 दिनांक 04 दिसम्बर, 2019 द्वारा निर्गत गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
17. पहुंच मार्ग के निर्माण की विशिष्टियाँ शासनादेश में निहित व्यवस्थानुसार प्राविधानित किया जाएगा। विशिष्टियाँ एवं इसके प्रयोग की जाने वाली सामग्री की विशिष्टियों को सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता से पूर्व से ही अनुमोदित कराना होगा।
18. भविष्य में मार्ग की श्रेणी में यदि कोई परिवर्तन होता है तो अनापत्ति पर तत्सम्बन्धी मानक लागू होंगे एवं इस हेतु पुनः नई अनापत्ति प्राप्त करनी होगी।

उपरोक्त समस्त प्रतिबन्धों/शर्तो का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

संलग्नः- 1-मानचित्र एक प्रतियों में।
2-एनक्जर एवं चैक लिस्ट।
3-अधी0अभि0, रामपुर का पत्र सं0-1785/20काम-रा0वृत/20-21 दि0 16.03.2021 के पत्र की छाया प्रति।

24/3/21
(डी0के0 मिश्रा)
मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत, लो0नि0वि0, रामपुर का पत्रांक-**1785/20काम-रा0वृत/20-21 दिनांक 16.03.2021** के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता
मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0,
मुरादाबाद।

Amol Ingle
Executive Engineering (Retail)
Bharat Petroleum Corporation Limited
Abu ka Makbara, Kaiser Ganj
Meerut - 250002 (U.P.)

...मेश शर्मा
प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
आबू का मकबरा, कैसर गंज
मेरठ-250002 (उ0प्र0)

G:\Dk\World\Petrol Pamp.doc

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–2, लो0नि0वि0, बिजनौर
(मुख्यालय नजीबाबाद)

पत्रांक :– 352/24 सी पेट्रोल पम्प-21 दिनांक– 06.03.2021

अधीक्षण अभियन्ता
रामपुर वृत्त, लो0नि0वि0,
रामपुर।

विषय :– बहसूमा चांदपुर ठाकुरद्वारा जसपुर मार्ग (राज्य मार्ग सं0–147) के किमी0 81 में ग्राम नवादा केशों, तहसील धामपुर, जिला बिजनौर के खसरा सं0 155 व 156 पर भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा पैट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट बिजनौर का पत्रांक 2186/जि0पू0अ0–एन0ओ0सी0/2020 दिनांक 12.10.2020

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में **मैसर्स भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, मेरठ प्रादेशिक कार्यालय, मेरठ को खसरा सं0–155 व 156, ग्राम नवादा केशों, तहसील धामपुर पर प्रस्तावित रिटेल आउटलेट** स्थापित करने हेतु भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, मेरठ को निम्न शर्तों के साथ लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु संस्तुति की जाती है:–

1– मानचित्र मानक के अनुसार बने है।
2– प्रस्तावित निर्माण अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है।
3– आवेदक के विरूद्ध उक्त प्रस्तावित स्थल सम्बन्धी उ0प्र0 रोड साईड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट–1945 की धारा–13(1) अथवा 13(2) के अन्तर्गत कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नहीं है अन्य किसी प्रकार के वाद एवं विवाद के सम्बन्ध में आवेदक का उत्तरदायित्व होगा।
4– प्रस्तावित निर्माण स्थल पालिका की सीमा के बाहर है।
5– प्रस्तावित स्थल बहसूमा चांदपुर ठाकुरद्वारा जसपुर मार्ग (राज्य मार्ग सं0–147) के किमी0 81 के दायी ओर स्थित है।
6– रिटेल आउटलेट की सर्विस रोड के लिये 05 किमी0 की दूरी पर सर्विस बेरियर नहीं है।
7– बफर स्ट्रिप 12.00 मी0 लम्बाई एवं 3.00 मी0 चौडाई तथा रिटेल आउटलेट पर वाहनों का प्रवेश कवर्स की चौड़ाई 11.50 मी0 एवं निकास कवर्स की चौडाई 11.50 मी0 है।
8– प्रस्तावित पैट्रोल पम्प का निर्माण आई0आर0सी0 कोड सं0–12–2009 के अनुसार किया जाये।
9– आवेदक को प्रस्तावित निर्माण कार्य की मध्य रेखा से बफर स्ट्रिप 22.86 मी0, पम्प 32.86 मी0, 40.80 मी0 एवं भवन निर्माण 46.40 मी0 की दूरी पर है।
   क– आवेदक को रिटेल आउटलेट भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड पम्प लगाने की अनुमति मिलने के उपरान्त अपने निजी खर्चे से मानचित्रानुसार ओपन ड्रेन (नाली) एवं दोनो ओर पुलिया एवं पहुँच मार्ग तथा 12.00 मी0 चौडाई की सर्विस रोड का निर्माण लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के अनुसार कराना होगा। 10 वर्षो के लिये लीजडीड एग्रीमेन्ट निर्धारित प्रपत्र (**Annexure-3**) पर फर्म से प्राप्त कर लिया गया है एग्रीमेन्ट की फीस सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त जमा करायी जायेगी। प्रार्थी का लीजडीड एग्रीमेन्ट संलग्न है।
   ख– आवेदक को यह सुनिश्चित कराना होगा, कि पैट्रोल पम्प लगाने के पूर्व व पश्चात मार्ग पर किसी प्रकार से यातायात के संचालन में अवरोध न होने पाये।
   ग– आवेदक द्वारा किसी भी दशा में स्वंय के इस्तेमाल एवं बरसाती पानी का बहाव इस प्रकार कराना होगा कि पानी बिना किसी अवरोध के सीधा नाली में ही आये तथा किसी भी दशा मे रिटेल आउटलेट का पानी मार्ग पर नहीं आना चाहिये एवं नाली को कवर किया जायेगा।
   घ– फिलिंग स्टेशन की सतह को मार्ग की लेपित सतह से 0.30 मी0 नीचा रखा जायेगा।
10– प्रस्तावित पैट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग पर 1.00 मी0 स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के अनुरूप कराना होगा तथा निर्मित की जाने वाली पुलियों के बीच रोड

राजेश शर्मा
प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
... केसर गंज
...250002 (उ0प्र0)

Amol Ingle
Executive Engineering (Retail)
Bharat Petroleum Corporation Limited
Abu Ka Makbara, Kaiser Ganj
Meerut - 250002 (U.P.)

F:\2020-21\JET Folder\Petrol Pump\Petrol Pump Forwarding Mirzapur said.doc

साईड खन्ती में 1.00 मी0 चौडाई का ड्रेन बनाकर ऊपर स्टील पाईप के कैटिल केचर बना दिया जाये ताकि रोड का पानी सुरक्षा एवं सुविधा पूर्वक रोड साईड ड्रेन से होकर आगे प्राकृतिक नाली/नाले में बह सकें। किसी भी दशा में नाली/नाले को बन्द नहीं किया जायेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि पानी किसी भी दशा में सड़क पर न आने पाये।

11— प्रस्तावित पैट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग का ढाल लो0नि0वि0 मार्ग से पुलिया की ओर होगा तथा पुलिया आई0आर0सी0—13 के अनुसार निर्मित की जायेगी।

12— बफर स्ट्रिप के पास हैजिज की ऊँचाई 60 सेमी0 से ऊपर न रखी जाये।

13— प्रस्तावित पैट्रोल पम्प का निर्माण लो0नि0वि0, मार्ग की स्थाई भूमि के बाहर अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया जाये तथा निर्माण सामग्री इस सीमा में न रखी जाये। मार्ग के मध्य से 40.00 मी0 की दूरी के कम पर कोई भवन निर्माण नहीं होना चाहिये।

14— प्रस्तावित स्थल से 1000 मी0 की दूरी पर राष्ट्रीय मार्ग/राज्य मार्ग/प्रमुख जिला मार्ग का इण्टरसैक्शन नहीं है एवं 300 मी0 की दूरी पर ग्रामीण मार्ग का इण्टरसैक्शन नहीं है।

15— यदि निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय का कोई विवाद विचाराधीन हो तो ऐसी स्थिति में अनापत्ति प्रमाण—पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

16— प्रस्तावित पैट्रोल पम्प से सम्बन्धित निर्माण कार्य कराने के पूर्व प्रार्थी को अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड—2, लो0नि0वि, बिजनौर (मुख्यालय नजीबाबाद) से लाईसेन्स डीड एक्जीक्यूट कराना आवश्यक है।

17— भूमि के स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से करा लिया जाये इस सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

18— लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग के चौड़ीकरण के समय यदि पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य हेतु पम्प आदि को शिफ्ट करने की आवश्यकता हुई तो प्रार्थी को अपने खर्चे पर ही कार्य कराना होगा। इस क्षति के लिये किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जायेगा। भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक आर0डब्लू0/एन0एच0—33023—19/99—डी0ओ0 तृतीय दिनांक 31.08.2000, 25.09.2003 एवं 17.10. 2003 में दी गयी गाईडलाईनों का अनुपालन करना होगा।

19— उक्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश सं0 1882/23—12—19—1365/17टीसी दिनांक 04.12.2019 के अनुसार मार्ग की भूमि का प्रयोग करने के लिये मुबलिक रू0 3,00,000.00 (रू0 तीन लाख मात्र) एकमुश्त लाइसेन्स के रूप में एवं अहस्तान्तरणीय प्रोसेसिंग फीस के रूप में मुबलिक रू0 10,000.00 (रू0 दस हजार मात्र) जमा करने हेतु भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 के डीलर के नाम से शपथ पत्र ले लिया जायगा।

संलग्नः— 1—मानचित्र 03 प्रतियों में।
2—एनक्जर एवं चैक लिस्ट 03 प्रति में।
3—लाईसेन्स डीड मूल में।

राजेश शर्मा
प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
अबू का मकबरा, कैसरगंज
मेरठ—250002 (उ0प्र0)

(सनत गुप्तावेशी)
अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0 2, लो0नि0वि0 बिजनौर
(मु0 नजीबाबाद)

Amol Ingle
Executive Engineering (Retail)
Bharat Petroleum Corporation Limited
Abu Ka Makbara, Kaiser Ganj
Meerut - 250002 (U.P.)